न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 01 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 बाबूसिंह पुत्र कल्याण सिंह।
2 रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण हंसामपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 बजरंग सिंह पुत्र मदनसिंह।
2 सत्यनारायण सिंह पुत्र अमृत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण हंसामपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.12.17 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना उनवानी प्रकरण बाबूसिंह बनाम बजरंग सिंह आदि आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 225

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 457/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में स्वंय की भूमि खसरा नम्बर 1226/179 ग्राम हंसामपुर के पडोसी रेस्पोडेंट को होना अंकित किया एवं कथन किया कि रेस्पोडेंट उनकी उक्त भूमि की सींव को तोड़कर कच्चा पक्का निर्माण कर कब्जा करना चाहते है। अत उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जायें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील खारिज की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हम रिकार्डेड खातेदार है रेस्पोडेंट पड़ौसी है वह मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते है। विचारण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा देनी चाहिए थी विचाराधीन निर्णय विधि विपरित है। अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान हुआ है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट अलग–अलग काबिज है सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर है हम दोनों अलग–अलग

खसरा नम्बर पर काबिज है अपनी खातेदारी पर काबिज है अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटक हमारे पक्ष में है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 1226/179 में मोबाईल टॉवर स्थित है जबकि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1229/179 के चारों तरफ 6–7 फिट की चार दिवारी बनी हुई है। दोनों के मध्य सीमाज्ञान दिनांक 08.11.2017 को करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने सम्बधी कोई तथ्य पत्रावली पर नही है विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित नही मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/11/18

(करतार सिंह पूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर